

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

इजलासा :- श्री अभिवेक सुराणा आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)

राजस्व वाद सं 55/2018

अचवाज :-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

.....वादी

बनाम

बसंत कुमार पुत्र पुखराज कौम महाजन साकिन शिपानी गोलछा चौक बीकानेर

.....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. पेरोकसरराज वादी राज्य के लिये।
2. इक्तरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण के लिए

—: निर्णय :-

दिनांक :- 27.02.2020

27.02.2020 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोलायत ने एक आवेदन पत्र बसंत कुमार अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुये अभिकथन किया कि

1. यह है कि रोही ग्राम मढ के खसरा नम्बर 519 रकबा 0.20 हैक्टर प्रतिवादीगण बसंत कुमार पुत्र पुखराज कौम महाजन साकिन शिपानी गोलछा चौक बीकानेर की खातेदारी भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के है।
2. यह है कि पटवारी हल्का कोटडी एवं भूअ.निरीक्षक कोलायत से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा 519 मे अवैध भट्टा स्थापित बिना सक्षम स्वीकृति किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व नजरी नक्शा सलंगन है।
3. यह है कि प्रतिवादीगण के द्वारा स्थापित किये गये अवैध ईट भट्टे के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिये हुआ है, जिससे उक्त खसरे नम्बर 519 के मूल स्वरूप में परिवर्तन किया हुआ है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिनियम रिज्यूम किये जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।
4. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम मढ के खसरा नम्बर 519 रकबा 0.20 हैक्टर में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध ईट भट्टा स्थापित कर कृषि भूम का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण इस वाद पत्र को स्वीकर किया जावे। उक्त खसरा नम्बर 519 कह कुल तादादी 0.20 हैक्टर भूम राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए अप्रार्थी को बेदखल करने के आदेश के साथ खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने हेतु निवेदन है।

नोटिश जारी किया गया। नोटिश तामील हुवा। प्रतिवादी बावजुद तामील के अनुपस्थित रहे। लगातार दिनांक 19.04.2018 से पत्रावली जवाब में जौरकार रही। प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 19.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। एकतरफा बहस समाप्त की गयी।


उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

रूप वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निम्न प्रकार सादिर
ती है :-

1. कि तहसील कोलायत के ग्राम मढ़ के खसरा नम्बर 519 रकबा 0.20 हैक्टर जो राजस्व
विभाग की जमाबन्दी सवंत 2072 में अंकित है, का आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये
जाते हैं, तथा इसमें प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाता है।
 2. कि विवादित भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है।
 3. कि विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावें।
- उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुरतीब किया जावें। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार कोलायत
को पालनार्थ भिजवायी जावे।
आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

110
6/3/2020

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।


(अनिषेक सुराणा)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
उपमुख्य अधिकारी
कोलायत प्रशासनिक अधिकारी
कोलायत

(अनिषेक सुराणा)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
उपमुख्य अधिकारी
कोलायत